तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

साजिद शेख बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर)

सू.अ. अपील संख्या 60 / 2024

23 / 08 / 2024

अपीलार्थी साजिद शेख निवासी 176, गुलाब नेहरू कॉलोनी, शिप हाउस, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.05.2024 में उनके द्वारा जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक राजस्व / पीएलपीसी–40 / 2021 / 3240 दिनांक 05.07.2023 से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली मय कार्यालय टिप्पणी की फोटो प्रतियां एवं अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) ने जरिये पत्रांक 2046 दिनांक 20.08.2024 को बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये पत्रांक 1821 दिनांक 17.05.2024 को प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर को प्रेषित किया गया परंतु वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन शाखा से अपेक्षित होने से प्रार्थी को उपलब्ध कराया जाना संभव नही है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) के स्तर से अपेक्षित नही होकर लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर) के स्तर पर लंबित है। अतः अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे अन्यथा नही दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर, जोधपुर
जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)